



## चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम द्वारा ‘मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 10.12.2025 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी, पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी साझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2015 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के आरोपी 1. बराती लाल खटीक पुत्र पलीवा खटीक 2. दिनेश खटीक पुत्र पलीवा खटीक निवासीगण ग्राम इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2015 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बाबूलाल प्रजापति पुत्र ठुहुरु प्रजापति निवासी ग्राम इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र फूलचन्द्र निवासी पहाड़ी बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6).आज दिनांक 10.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में अधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिकूट आरक्षियों को थाना कार्यालय के रजिस्टरों एवं एचएस चेकिंग के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया गया। पुलिस अधीक्षक ने रिकूट आरक्षियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण रजिस्टरों—जैसे सामान्य डायरी, अपराध रजिस्टर, गिरफ्तारी/रिहाई रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, आगन्तुक रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर आदि—के महत्व, संरचना, प्रविष्टियों की शुद्धता तथा समयबद्ध अद्यतन की आवश्यकता पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने समझाया कि सही एवं सटीक रिकॉर्ड संधारण न केवल पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ाता है, बल्कि विवेचना, अपराध नियंत्रण और न्यायिक कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने एचएस (हिस्ट्रीशीटर) एवं सक्रिय अपराधियों की निगरानी से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एचएस रजिस्टरों का संधारण, उनकी नियमित समीक्षा, बीट स्तर पर निगरानी, मूवमेंट की जानकारी, सत्यापन, गतिविधियों पर सतत नजर और प्रभावी फॉलोअप पुलिसिंग की रीढ़ है। अपराधियों की प्रोफाइल, गतिविधियों और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति की स्थिति का समय-समय पर अद्यतन किए जाने पर जोर दिया गया, जिससे अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

इस दौरान आरटीसी प्रभारी श्री शिवमूरत यादव, पीआरओ पुलिस अक्षीक्षक श्री प्रदीप पाल व समस्त रिकूट आरक्षीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी चित्रकूट एवं थाना मऊ की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 07 अभियुक्तों को लूट के 139,500 रुपए, 02 अदद लूट के मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
- 2.योगेश त्रिपाठी पुत्र हरिनारायण त्रिपाठी निवासी धवाडा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
- 3.विनय सिंह पटेल पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
- 4.अजीत सिंह पटेल पुत्र उदयराज सिंह पटेल निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

- 5.बालकृष्ण पुत्र राधेश कुमार निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
- 6.पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ ननकू पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
- 7.सूरज उर्फ रसीम पुत्र दिलीप उर्फ सरोज निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान-

10.12.2025,महिला पुल के पास/खण्डेहा रोड़ की तरफ नहर पुलिया के पास

संक्षिप्त विवरण-

➡ दिनांक 08.12.025 को वादी जितेन्द्र गुप्ता पुत्र रजजू ग्राम कोपा का पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि दिनांक 07/12/2025 को सुबह वह धान बेचने के लिए विनय सिंह पुत्र नन्दकिशोर सिंह निवासी कोपा थाना मऊ चित्रकूट के ट्रैक्टर से नवीन गल्ला मण्डी कर्वी चित्रकूट गया था। जहाँ से धान बेचने के बाद दिनांक 07.12.025 और दिनांक 06.12.2025 को बेचे गये धान का कुल पैसा 193000 रुपए लेकर विनय के ट्रैक्टर से अपने घर आ रहा था उक्त ट्रैक्टर को विनय चला रहा था रास्ते में देवीपुर में माँ की रसोई ढाबे पर रात्री लगभग 09.30 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने घर आ रहे थे कि अशोक चौराहा से आगे मटियारा पुलिया के पास 03-04 लोग समय करीब रात्रि 10.00 बजे ट्रैक्टर की ट्राली पर पीछे से चढ़ गये और उनके साथ मारपीट किए तथा पूरा पैसा 193,000 रुपये व दोनों लोगों के मोबाइल भी छीन लिये और मौके से फरार हो गये। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 388/25 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 03-04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभागी निरीक्षक मऊ व प्रभागी एसओजी को घटना के शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनांक 10.12.025 को थाना मऊ व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के क्रम में घटना में सम्मिलित 02 संदिग्ध व्यक्तियों 1. दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2. योगेश त्रिपाठी पुत्र हरिनारायण त्रिपाठी निवासी धवाडा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को महिला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों की जामतलाशी ली गयी तो अभियुक्त दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार तिवारी उपरोक्त के कब्जे से 500 रुपये के कुल 134 नोट कुल 67000/- रुपये तथा बाँयी जेब से 01 अदद मोबाइल मोटोरोला कंपनी व 01 मोबाइल वीवो तथा अभियुक्त योगेश त्रिपाठी उपरोक्त के कब्जे से 500 रुपये के कुल 21 नोट कुल 10500/- रुपये व 01 अदद मोबाइल स्क्रीन टच वीवो तथा 01 अदद मोबाइल वीवो बरामद हुआ। अभियुक्त दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार तिवारी की जामतलाशी से प्राप्त फोन से ट्रैक्टर ड्राइवर विनय सिंह पटेल निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट से घटना के दिन, घटना के पूर्व बार-बार फोन से व्हाट्सप कॉल से वार्ता होना पाया गया। कडाई से पूँछताछ में अभियुक्त दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि विनय सिंह पटेल मेरे मोबाइल पर फोन लगाकर बताया था कि मेरे ट्रैक्टर से जितेन्द्र गुप्ता उपरोक्त कर्वी से अपनी धान का 190000/- रुपये लेकर आ रहा है। चार पाँच लोगों को लेकर मटियारा पुलिया के पास मौजूद रहो और इससे मारपीट करके पैसे छीन लो। विनय सिंह पटेल के कहने पर बालकृष्ण पुत्र राधेश कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ ननकू पुत्र फूलचन्द्र, सूरज उर्फ रसीम पुत्र दिलीप उर्फ सरोज निवासी गण ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट व योगेश

त्रिपाठी पुत्र हरिनारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को पुष्टेन्द्र कुमार की मोटर साईकिल नं0 UP96P6570 हीरो स्प्लेण्डर प्लस से हम लोग इकट्ठा होकर अशोक चौराहा आकर मुड़कर मटियारा नहर पुलिया के पास पहुँचे जहाँ ट्रैक्टर के आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही ट्रैक्टर आया कि हम लोग ट्रैक्टर की ट्राली में पीछे से चढ़कर जितेन्द्र गुप्ता व विनय सिंह पटेल को लात जूतो से मार पीट कर उसके पास रखे से पूरे पैसो को लेकर हम लोग पुनः उसी मोटर साईकिल से शुभ ढाबा पर चले गये थे जहाँ पर खाना खाये थे। जितेन्द्र गुप्ता से छीने गये पैसे को हम सभी लोग आपस में बाट लिये थे। इस छीने हुये पैसे में से ड्राइवर विनय सिंह पटेल के द्वारा भेजे गये अपने गाँव के पारिवारिक भाई अजीत सिंह पटेल पुत्र उदयराज सिंह पटेल निवासी कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को भी 30000 रुपये दिया गया था क्योंकि अजीत भी इस घटना को कराने में मदद किया था। उक्त छीने हुए पैसो का ही मेरे पास 67000 हजार रुपये है तथा ट्रैक्टर ड्राइवर विनय सिंह पटेल का छीना हुआ मोबाइल मेरे पास है, जो बरामद आप किये हैं पुनः संदेही योगेश त्रिपाठी से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा भी दादू उर्फ रावेन्द्र तिवारी के दिये गये बयान का समर्थन करते हुए बताया कि साहब उस दिन मैं भी दादू के कहने पर उक्त घटना में शामिल हो गया था। मेरे पास से जो 01 अदद मोबाइल है वह जितेन्द्र गुप्ता का है।

पूछताछ से घटना में प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुनः पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुख्यिकर की सूचना पर 05 व्यक्तियों को खण्डेहा रोड़ की तरफ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से नाम पता व जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम विनय सिंह पटेल पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया, जामा तलाशी से 500 रुपये की 20 नोट कुल 10000/- रुपया बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति से अपना नाम अजीत सिंह पटेल पुत्र उदयराज सिंह पटेल निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 500 रुपये के 60 नोट कुल 30000/- रुपये तथा 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल वीवो कम्पनी बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम बालकृष्ण पुत्र राधेश कुमार निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 500 रुपये की 10 नोट कुल 5000/- रुपया बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम पुष्टेन्द्र कुमार उर्फ ननकू पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जिसके जामा तलाशी 500 रुपये की 20 नोट कुल 10000/- रुपये बरामद हुये तथा पाँचवे ने अपना नाम सूरज उर्फ रसीम पुत्र दिलीप उर्फ सरोज निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामातलाशी से 500 रुपये के 14 नोट कुल 7000/- रुपये बरामद हुआ तथा अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस (सिल्वर रंग) रजि0 नं0 यूपी 96 पी 6570 बरामद हुयी। पकड़े गये व्यक्तियों से उनके पास से बरामद पैसों के बारे मे पूछा गया तो सभी ने एक स्वर में बताया कि साहब दिनांक 07.12.2025 को मटियारा नहर पुलिया के पास से जितेन्द्र गुप्ता से जो पैसे का लूट हम लोगो ने किया था उसी का बँटवारे का यह पैसा दादू ने दिया था। जो आप लोगो ने बरामद किया है।

गिरफ्तारी करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

- प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
- मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार 3.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

4. आरक्षी गोलू भार्गव 5. आरक्षी पवन राजपूत
6. आरक्षी राघवेन्द्र 7.आरक्षी रोशन सिंह
- गिरफ्तार करने वाली थाना मऊ पुलिस टीम-
- 1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह 2.उनियो श्री रामअधार सिंह 3.उनियो श्री वंश नारायण सिंह 4.उनियो श्री मुन्नीलाल 5.उनियो शाहनवाज खाँ 6.काठो प्रकाश मिश्रा 7.काठो सोनपाल
- 8.काठो शुभम त्रिपाठी 9.चालक काठो प्रभात दुबे
- 10.काठो प्रकाश मिश्रा 11.काठो सोनपाल
- 12.काठो शुभम त्रिपाठी 13.कांठो संदीप यादव
- 14.कांठो नीरज यादव 15.कांठो राकेश कुमार

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उनियो श्री रामकरन सिंह, उनियो श्री रामकुमार सिंह व मुख्य आरक्षी शैलेंद्र सिंह द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र शिव नरेश निवासी ग्राम पहरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 3/25 आम्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया।